राजस्थान की नई ड्राफ्ट टाउनशिप नीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक **नई ड्राफ्ट टाउनशिप नीति** और **भवन उपनियमों** के साथ लोगों एवं सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- नई ड्राफ्ट नीति के अनुसार, डेवलपर अपने टाउनशिप में बेची गई इकाइयों के रखरखाव के लिये **सात वर्ष की अवधि तक** उत्तरदायी होगा।
  - ये **टाउनशिप केवल अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्मित** किये जाएंगे, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि उस **क्षेत्र में सभी आवश्यक सुविधाएँ** जैसे: जल और ऊर्जा सुविधाएँ **सुलभ हों।**
- नए भवन उपनियमों के अनुसार, शहरों की आवासीय योजनाओं और कॉलोनियों में छोटे भूखंड पर ऊँची इमारत बनाने की अनुमति नहीं होगी।
  - 500 से 750 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के भूखंडों पर केवल आठ मंजिला इमारतें ही बनाई जा सकेंगी।
  - शहरों में 2500 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों पर ग्रीन बिल्डिंग या पर्यावरण-अनुकूल इमारतों का निर्माण अनिवार्य किया जा रहा है।
  - ग्रुप हाउसिंग, बहु-आवासीय इकाइयों में अब प्रत्येक इकाई के लिये एक कार पार्किंग की जगह छोड़नी होगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rajasthan-new-draft-township-policy